

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

पाधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 455] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 10, 2019/अग्रहायण 19, 1941 No. 455] NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 10, 2019/AGRAHAYANA 19, 1941

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

(भारतीय भेषजी परिषद्)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 दिसम्बर, 2019

- सं. 14-126/2019-पी.सी.आई.—भेषजी अधिनियम, 1948 (1948 का 8) की धारा 10 द्वारा प्रदत शिक्तयों का प्रयोग करते हुए भारतीय भेषजी परिषद् केन्द्र सरकार के अनुमोदन से एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाकर फार्म.डी. विनियम, 2008 में और भी संशोधन करती है, अर्थात् :-
- 1. (1) इन विनियमों का नाम फार्म.डी. (संशोधन) विनियम, 2019 है।
 - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत होंगे।
- **2.** फार्म.डी. विनियम, 2008, के परिशिष्ट-ख पैराग्राफ 2 के खण्ड ख) के -
 - 1) आरम्भिक भाग में "जिसके पास संबद्ध 300 बिस्तरों वाले अस्पताल हों" के साथ निम्नलिखित शब्दावली जोड़ी जायेगी, अर्थातः-
 - "िकन्तु भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों तथा पहाड़ी क्षेत्रों में जहाँ 300 बिस्तरों वाले अस्पताल उपलब्ध नहीं हैं, फार्म.डी. पाठ्यक्रम चलाने की अनुमित मांगने वाले संस्थान छात्रों के क्लीनिकल प्रशिक्षण हेतु जिला स्तर के मुख्यालय अस्पताल में उपलब्ध बिस्तरों के आधार पर अस्पताल के साथ समझौता ज्ञापन कर सकते हैं"
 - 2) उप-खण्ड (iii) में "अनुबद्ध संकाय के रूप में चिकित्सा संकाय शामिल हैं" शब्दों के बाद "और जहां अस्पताल और संस्थान अलग-अलग कारपोरेशन या नगरपालिका अथवा परिसर में हैं तो ऐसी स्थिति में दोंनों के बीच की सड़क मार्ग से दूरी 30 किलोमीटर से अधिक न हो" शब्दावली अन्त में जोड़ी जायेगी।

अर्चना मुदुगल, निबन्धक-एवं-सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा ./345/19]

6361 GI/2019 (1)

नोटः मूल विनियम अधिसूचना संख्या 14-126/2007-पी.सी.आई., दिनांक मई 10 - मई 16, 2008 के तहत भारत के राजपत्र में प्रकाशित किये गये थे और अन्तिम संशोधन अधिसूचना सं 10-1/2012-पी.सी.आई.(पार्ट-वन) दिनांक 28 अगस्त, 2014 के तहत किया गया था।

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(PHARMACY COUNCIL OF INDIA)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th December, 2019

No. 14-126/2019-PCI.—In exercise of the powers conferred by section 10 of the Pharmacy Act, 1948 (8 of 1948), the Pharmacy Council of India with the approval of the Central Government hereby makes the following regulations further to amend the Pharm. D. Regulations, 2008, namely:-

- 1. (1) These regulations may be called the Pharm.D. (Amendment) Regulations, 2019.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Pharm. D. Regulations, 2008, in APPENDIX-B, in paragraph 2), in clause b) -
 - (i) in the opening portion, after the words "hospital attached to it", the following words shall be added, namely:-
 - "except in the case of North Eastern States and hilly regions of India where hospitals with 300 beds strength are not available, the institutions desiring to seek approval of Pharm.D. course are permitted to sign a Memorandum of Understanding with district headquarter hospital with available bed strength for providing clinical training to students":
- (ii) in sub-clause (iii), after the words "involvement as adjunct faculty", the words "and where the hospital and institution are located in different Corporation or Municipality or Campus, the distance between the two shall not be more than 30 kms. by road" shall be added at the end.

ARCHNA MUDGAL, Registrar-cum-Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./345/19]

Note: The principal regulations were published in the Gazette of India, vide notification No.14-126/2007-PCI, dated May10- May 16, 2008 and last amended, vide notification No.10-1/2012-PCI (Pt-I), dated the 28th August, 2014.